भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारां कत प्रश्न संख्या **1808**

(मंगलवार, **04** अगस्त, **2026/13** श्रावण, **1948 (**शक) को उत्तर के लए)

पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीएसआर

1808 श्री जोगेन मोहनः

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) पछले पांच वर्षों के दौरान असम राज्य में कुल कतना कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय हुआ है**;**

(ख) कार्यान्वित की गई सीएसआर परियोजनाओं का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है**;**

(ग) क्या सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में और अ धक सीएसआर निवेश को प्रोत्साहित करने के उपायों का प्रस्ताव करती है**;** और

(घ) सीएसआर- वत्तपो षत परियोजनाओं की प्रभावशीलता की निगरानी हेतु वद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है**?**

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) और **(**ख)**:** एमसीए**21** रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई वा षक फाइ लंग के आधार पर, वत्तीय वर्ष **2020-21** से **2024-25** के दौरान असम में कया गया वकास क्षेत्र**-**वार सीएसआर व्यय अनुलग्नक में दिया गया है।

(ग)**:** कंपनी अ धनियम, **2013** के अंतर्गत सीएसआर एक बोर्ड द्वारा संचा लत प्र क्रया है और कंपनी का बोर्ड अपनी सीएसआर स मति की सफारिश के आधार पर कंपनी के सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उन पर निर्णय लेने, उनका निष्पादित करने और उन पर निगरानी करने के लए अ धकृत है। सरकार कसी वशेष क्षेत्र या कार्यकलाप में अथवा कसी वशेष समुदाय के लए व्यय करने के लए कारपोरेट्स को कोई निदेश जारी नहीं करती है।

(घ)**:** कंपनी बोर्ड को, अपनी बोर्ड रिपोर्ट में कंपनी द्वारा कार्यान्वित सीएसआर नीति को, प्रकट करना अपे क्षत है। कंपनी के बोर्ड को स्वयं को संतुष्ट करना होगा क इस प्रकार वतरित की गई धनरा श का उपयोग उसके द्वारा अनुमोदित उद्देश्यों के लए और तरीके से कया गया है, और मुख्य वत्तीय अ धकारी या वत्तीय प्रबंधन के लए उत्तरदायी व्यक्ति इस प्रभाव को प्रमा णत करेगा। सभी कंपनियों द्वारा सीएसआर कार्यकलापों, प्रभाव मूल्यांकन आदि के ववरण को सीएसआर पर वा षक रिपोर्ट में रिपोर्ट करना आवश्यक है, जिसमें सीएसआर पर वा षक कार्य योजना भी शा मल है, जो कंपनी के बोर्ड रिपोर्ट का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त, जिन कंपनियों की अपनी वेबसाइट है, उन्हें अपनी वेबसाइट पर सीएसआर स मति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं जैसे प्रकटीकरण करने की आवश्यकता होती है।

अनुलग्नक

दिनांक **04.08.2026** के लए राज्य सभा अतारां कत प्रश्न संख्या **1808** के भाग **(क)** और **(ख)** का संदर्भ

वत्तीय वर्ष **2020-21** से **2024-25** के लए असम में वकास क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय

रा श **(करोड़ रुपये में)**

क्र. सं.	वकास क्षेत्र	वत्तीय वर्ष 2020-21	वत्तीय वर्ष 2021-22	वत्तीय वर्ष 2022-23	वत्तीय वर्ष 2023-24	वत्तीय वर्ष 2024-25
1	कृ ष वानिकी	-	-	-	-	0.19
2	पशु कल्याण	0.27	0.87	0.25	1.34	2.91
3	सशस्त्र बल, पूर्व सैनिक, वीरांगनाएं/आ श्रत	-	0.00	0.00	0.03	0.03
4	कला और संस्कृति	0.31	1.53	3.14	0.78	5.75
5	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	0.05	0.20	3.86	1.54	8.68
6	शक्षा	40.62	71.29	106.09	84.30	82.58
7	पर्यावरणीय स्थिरता	3.78	44.05	41.20	27.65	80.08
8	लैं गक समानता	4.05	11.70	0.10	5.71	3.56
9	स्वास्थ्य देखभाल	38.17	156.02	193.63	216.91	221.21
10	आजी वका संवर्धन परियोजनाएं	20.65	61.74	10.43	35.53	64.01
11	गरीबी, भुखमरी, कुपोषण का उन्मूलन	2.70	2.21	5.62	12.20	11.05
12	ग्रामीण वकास परियोजनाएं	18.99	23.24	68.85	61.51	66.34
13	सुर क्षत पेयजल	0.89	2.58	2.41	0.46	0.94
14	स्वच्छता	4.73	3.54	4.89	6.22	5.07
15	वरिष्ठ नागरिक कल्याण	0.70	0.05	0.32	0.66	0.31
16	महिलाओं के लए आवास और छात्रावास स्था पत करना	0.00	-	0.04	0.03	0.02
17	अनाथालय की स्थापना	0.15	0.65	1.73	0.69	1.23
18	स्लम क्षेत्र वकास			0.22	0.10	0.20
19	सामाजिक-आ र्थक समानताएं	0.03	1.03	0.06	0.20	0.13
20	वशेष शक्षा	0.03	0.43	3.17	0.73	1.05
21	खेलों को बढ़ावा देने के लए प्र शक्षण	2.53	4.02	11.31	20.71	5.71
22	व्यावसायिक कौशल	35.88	14.83	7.94	16.45	26.78
23	महिला सशक्तिकरण	5.71	6.43	9.85	1.84	19.20
	कुल	180.23	406.42	475.11	495.60	607.04

(31 मार्च, 2026 तक के अपडेटेड आंकड़े**)** **[**स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ**]**
